म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्र./बोर्ड/विधि/06/परिपत्र/2025/ 478 भोपाल, दिनांक 30-05-2025

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय- भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर/रीवा/उज्जैन/सागर

विषयः- न्यायालयीन/अवमानना प्रकरणों के संबंध में।

संदर्भः- मुख्यालय का पत्र क्र./बोर्ड/विधि/06/परिपत्र/2025/425-26 दिनांक 08.05.25

--000--

विषय सन्दर्भ में समय-समय पर मुख्यालय स्तर से आंचलिक कार्यालयों को नोडल अधिकारी नामित करते हुये न्यायिक प्रकरणों की सतत् समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं। नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (OIC) का दायित्व है कि प्रतिदिन माननीय न्यायालय की वेबसाइट से Causelist प्राप्त कर आगामी दिवस के प्रकरणों की जानकारी रखें साथ ही समस्त प्रकरणों की आगामी संभावित तिथि से भी अद्यतन रहें। कतिपय रूप से देखने में आया है कि न्यायिक प्रकरणों में सजगता नहीं बरतने से एकपक्षीय आदेश की स्थितियां निर्मित होती हैं, जो उचित नहीं है।

उक्त के निराकरण हेतु मुख्यालय स्तर पर विधि कार्यों हेतु "WhatsApp Group" बनाया गया है, जिसमें आपको सम्मिलित किया गया है। ग्रुप में संभागों से अपेक्षा है कि:-

1. आपके कार्यालय के विधि शाखा के नोडल अधिकारी/कर्मचारी को ग्रुप में जोड़ें।
2. प्रतिदिन शाम को माननीय न्यायालय की सुसंगत पीठ की Causelist चेक करके ग्रुप में पोस्ट करें।
3. यदि मंडी बोर्ड/मंडी समिति का कोई केस आगामी दिनांको में लिस्टेड है/कॉजलिस्ट में है तो ग्रुप में जानकारी अंकन के साथ अधिवक्ता से संपर्क कर, उनकी माननीय न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये ग्रुप में रिपोर्ट करें।
4. केवल विधि से सम्बंधित जानकारी एवं पत्राचार किये जायें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन किये जाने का अनुरोध है।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

30/5/25

सहायक संचालक, (विधि)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बोर्ड/विधि/06/परिपत्र/2025/ 479 भोपाल, दिनांक 30-05-2025

प्रतिलिपिः-

1. **निज सहायक, प्रबंध संचालक,** म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
2. **निज सहायक, संयुक्त संचालक** (विधि), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

30/5/25

सहायक संचालक, (विधि)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल